# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 33/2020 रा0रा0अ0

1. श्रीमती भूली बेवा रामस्वरूप
2. रामोतार पुत्र रामस्वरूप
3. छुटटन लाल पुत्र रामस्वरूप
4. धर्मसिंह पुत्र रामस्वरूप
5. रामकरण पुत्र हरपाल
6. जगदीश पुत्र कुन्जाराम
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0
7. श्रीमती कमलेश पुत्री रामरूवरूप पत्नि कालूराम जाति मीना निवासी ग्राम भोजपुरिया तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
8. श्रीमती काली पुत्री रामस्वरूप पत्नि हरिमोहन जाति मीना निवासी ग्राम भावनी तहसील जमवा रामगढ जिला जयपुर

...प्रार्थीगण

बनाम

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रावत पैलेस होटल के पीछे, दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956

उपस्थित– 1. श्री अशोक बटवाल, अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष की ओर से
2. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

दिनांक: 08.07.2022

## निर्णय

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थीगण की भूमि वाके ग्राम चूडियवास के पारित संरचना अवार्ड में भूमि खसरा नंबर 368/1039 में बनी हुई संरचना का मुआवजा अवार्ड में राशि एक गुना एवं अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अवार्ड शून्य में पारित कर दिया गया। उक्त पारित अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान से टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:12 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर... 2 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 33/2020 रा0रा0अ0

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस हाइवे 06 लेन के निर्माण हेतु ग्राम चूंडियावास की भूमि अवाप्ति की जा रही है। जिसमें सरकार के आदेशानुसार डी0एल0सी0 रेट के मुताबिक जमीन का ढाई गुना व निर्माण कार्य का दो गुना दर के हिसाब से मुआवजा राशि अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा धारियों को वितरित की जा रही है। भारत सरकार के आदेशानुसार प्रार्थीगण की पटटेशुदा भूमि एवं उसमें निर्मित पुख्ता निर्माणात को उक्त परियोजना के तहत अवाप्त किये जाने की दशा में जमीन का डी0एल0सी0 दर के मुताबिक ढाई गुना एवं व निर्माण कार्य दो गुना की दर के हिसाब से मुआवजा राशि सभी मुआवजा धारियों को कानूनन वितरित किये जाने बाबत आदेशित किया हुआ है तथा इसी दर से अन्य मुआवजा धारियों को भी मुआवजा राशि वितरित की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की ग्राम चूडियावास की आबादी भूमि में स्थित पटटेशुदा भूमि जो कि 55 फीट पूर्व पश्चिम व 68 फीट उत्तर दक्षिण कुल 416 वर्गगज भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण के पुश्तैनी पुख्ता मकानात बने हुए है। जिसका पटटा क्रमांक 35 ग्राम पंचायत चूडियावास द्वारा नियमानुसार दिनांक 05.02.2002 को रामस्वरूप, जगदीश, पिसरान कुन्जाराम व रामकरण पुत्र हरपाल मीना के पक्ष में जारी किया गया था। रामस्वरूप का निधन हो जाने के फलस्वरूप उसके कानूनी वारिसान प्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 व 7 तथा 8 के पक्ष में दिनांक 28.11.2019 को पटटा नामांतकरण की कार्यवाही करते हुए रामस्वरूप के स्थान पर प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 व 07 व 08 के नाम का इन्द्राज किया गया। प्रार्थीगण की उक्त पटटेशुदा भूमि 416 वर्गगज भूमि में प्रार्थीगण के बजमाने बुजुर्गान दो पुख्ता मकान बने हुए है, जिसमें प्रार्थीगण के 12 कमरे, 2 हॉल, 1 चौक, 2 जीने व बरामदे आदि बने हुए है। उक्त दोनों पुख्ता मकानात में प्रार्थीगण आज भी बहैसियत स्वामी परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की पटटेशुदा भूमि एवं उसमे निर्मित पुख्ता निर्माणात को उक्त परियोजना के तहत अवाप्त किये जाने की दशा में जमीन का डी0एल0सी0 दर के मुताबिक ढाई गुना एवं निर्माण कार्य दो गुना राशि के मुआवजा राशि मुआवजाधारियों को वितरित किये जाने हेतु आदेशित किया हुआ है तथा इसी दर से अन्य मुआवजाधारियों को भी मुआवजा राशि वितरित की जा रही है। प्रार्थीगण की पटटेशुदा भूमि 416 वर्गगज है, जो उक्त परियोजना के तहत अवाप्त की जा रही है। उक्त 416 वर्गगज भूमि अर्थात 347.77 वर्गमीटर भूमि बनती है। प्रार्थीगण द्वारा पटटेशुदा अवाप्त की जा रही भूमि के संपूर्ण स्वामित्व संबंधी कागजात अप्रार्थीगण को ... जाने के उपरांत भी प्रार्थीगण की मुआवजा राशि में भूमि की उक्त राशि ... है, जिसे प्रार्थीगण कानूनन अप्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधि... द्वारा प्रार्थीगण के दोनो पुख्ता मकानात जो कि ख0नं0368/1039 में बने हुए है, जि... स्ट्रेक्चर कोड संख्या डी बी 477

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Uz Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:12 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर... 3 पर

[illegible]) की मुआवजा राशि भी मात्र एक गुना 22,39,920/– रू0 ही निर्धारित की गई है। उक्त मुआवजा राशि दो गुना के हिसाब से निर्धारित की जानी चाहिए थी, किन्तु प्रार्थीगण की काफी मिन्नतों के उपरांत भी अन्य मुआवजाधारियों के समान दो गुना मुआवजा राशि प्रार्थीगण के उक्त दोनों भवनों की राशि निर्धारित नही की गई है। ऐसी दशा में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से अपनी अवाप्त पटटाशुदा भूमि के दाई गुना की दर से मुआवजा राशि तथा उक्त भवन के पास ही प्रार्थीगण का 300 फीट गहरा बोरिंग जिस पर बिजली की मोटर भी लगी हुई है तथा उसके पास ही प्रार्थीगण का 5 फीट फरमें वाला 16 फीट उंचा पानी का होद भी बना हुआ है, जिसका पलेटफॉर्म की 6 फीट गुणा 8 फीट लंबाई चौडाई का बना हुआ है। अवाप्त की जा रही भूमि में प्रार्थीगण की बोरिंग व पानी के होज का प्लेटफार्म भी आ रहा है। जिसके कारण होज का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। उक्त प्लेटफार्म एवं बोरिंग की राशि भी मुआवजा राशि में निर्धारित नहीं की गई है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व भोले भाले व्यक्ति है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उक्त मुआवजा राशि निर्धारित किये जाने बाबत व्यक्तिशः कोई सूचना नहीं दी गयी। उक्त विचाराधीन आदेश की नकल दिनांक 06.01.2020 के साथ उक्त विषयक आपत्ति प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 02 के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थीगण की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने बाबत सांत्वना दी गई। तत्पश्चात कोरोनाकाल के कारण लॉकडाउन होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई। अन्ततः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा किसी प्रकार का विधिक आदेश पारित करने से माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में यह कहते हुए इंकार किया गया कि उनके द्वारा अब कानूनन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण माननीय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष कानूनन अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर उसका विधिसम्मत निस्तारण करवा सकते है। जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा पुनः मुआवजा राशि आदेश की नकल दिनांक 17.8.2020 को प्राप्त कर अविलंब उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान का आदेश भूमि अवाप्ति अधिनियम के मेन्डेट्री प्रावधानों के विपरीत होने के कारण भी संशोधन योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की निर्धारित की गई मुआवजा राशि 22,39,920/–रूपये का दो गुना राशि व प्रार्थीगण की पटटेशुदा अवाप्त भूमि 416 वर्गगज की मुआवजा राशि का ढाई गुना एवं बोरिंग व निर्मित होज की राशि का मुआवजा पारित करने हेतु सक्षम अधिकारी को निर्देया फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा बहस में [illegible] है कि भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने [illegible] लोकहित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148–एन के 170.8 किमी से 210 किमी (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण (आठ ले[illegible] का बनाने आदि) हेतु प्राधिकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:12 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर... 4 पर

अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों के पालन करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को जारी की गई थी। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के प्रकाशन में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा 3 सी के अंतर्गत प्राप्त समस्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई, जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 29.11.2018 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 19.12.2018 को प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें खसरा नंबर 368/1039 की 0.05 है0 किस्म गै0मु0 आबादी सरकारी राजस्थान सरकार वाके ग्राम चूडियावास भी सम्मिलित है, जो केन्द्र सरकार में अंतिम रूप से निहित हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अधिग्रहित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए व डी के अंतर्गत जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके द्वारा खसरा नंबर 368/1039 की 0.05 है0 किस्म गै0मु0आबादी सरकारी के अवाप्त रकबे बाबत अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। उक्त आराजी खसरा नंबर 368/1039 की 0.05है. सरकारी के एवं समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में भी संबंधित हिताधिकारियों से आक्षेप आमंत्रित किये गये। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विवादित आराजी के अर्जन बाबत रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गई। जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अर्जन बाबत अधिनियम की धारा 3 डी की अधिसूचना प्रकाशित की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए व 3 डी के अंतर्गत जो अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा खसरा नंबर 368/1039 की 0.05है. किस्म गै0मु0आबादी सरकारी राजस्थान सरकार वाके ग्राम चूडियावास दर्ज थी। जिसका मुआवजा खातेदार को भूमि की किस्म की डी0एल0सी0 दर के आधार पर कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी(1) के अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी सम्मिलित है, जिसे किसी भी न्यायालय में चु[illegible] दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के अंतर्गत प्रावधान [illegible] सक्षम अधिकारी मुआवजा निर्धारण से पूर्व संबंधित खातेदार अथवा हितधारी [illegible] मुआवजे के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:12 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर... 5 पर

1956 के उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन कर संबंधित खातेदार/हितधारी व्यक्तियों से भूमि, संरचना के मुआवजे के संबंध में नोटिस प्रकाशन से 21 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी आपत्तियां उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, उनका निस्तारण करने के पश्चात मुआवजे के संबंध में दिनांक 06.01.2020 को अपना अवार्ड पारित कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डी0एल0सी0 दर के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3 एच के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्ताधीन भूमि की निर्धारित डीएलसी दर के मुताबिक मुआवजा राशि निर्धारित की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए एवं 3 डी के अंतर्गत जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसके द्वारा खसरा नंबर 368/1039 की 0.05है0 गै0मु0सरकारी आबादी राजस्थान सरकार वाके ग्राम चूडियावास अवाप्त की गई। खसरा नंबर 368/1039 पर निर्मित संरचना एवं निर्माण के संबंध में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसंपत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर नियमानुसार मौका एवं रिकार्ड की जांच कराकर संबंधित खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों के हक में स्ट्रक्चर कोड डीबी 477 एलएचएस चैनेज संख्या 199 प्लस 225 के द्वारा प्रार्थीगण को नेट वैल्यू 22,39,920/—रू0 एवं मूल दर का 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि शून्य कुल 22,39,920/—रू0 प्रतिकर राशि निर्धारित की गई थी। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा खसरा नंबर 368/1039 पर निर्मित संरचना एवं निर्माण के संबंध में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि का मुआवजा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानो एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी पॉलिसी गाईडलाईन के अनुसार बनाया गया है। उक्त गाईडलाईन के मुताबिक ही सरकारी भूमि पर अवस्थित निजी संरचनाओं के मुआवजे पर तोषण देय नहीं है। प्राधिकरण द्वारा सक्षम अधिकारी को निर्धारित मुआवजे की राशि उनके कार्यालय में जमा करवा दी गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जांच के आधार पर एवं सं[illegible] के खसरा नंबर, रकबा, खातेदार व हितबद्ध व्यक्तियों के रिकार्ड की त[illegible] द्वारा की गई जांच के आधार पर मुआवजा का निर्धारण किया गया है। प्रार्थीगण अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बहस में निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:12 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा भी रजिस्टर्ड नहीं है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा पारित अवार्ड जो संपूर्ण रिकार्ड, मौका रिपोर्ट एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि राजस्व ग्राम चूडियावास स्थित संरचना संख्या डी0बी0 477 आर.एच.एस. को खसरा नंबर 368/1039 में दर्शाकर कुल 22,39,920/–रू0 मुआवजा राशि का अवार्ड खसरा नंबर 368/1039 ग्राम पंचायत राजस्थान सरकार खाते में दर्ज होने से एक गुना दर से जारी किया गया हैं। अवाप्ताधीन संरचना का मूल्यांकन राजस्व कर्मचारियों व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियो/कार्मिको के द्वारा जांच उपरांत जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। ग्राम चूडियावास स्थित संरचना डी0बी0 477 आर.एच.एस.को खसरा संख्या 368/1039 में दर्शा कर कुल 22,39,920/–रू0 मुआवजा राशि का अवार्ड जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत चूडियावास द्वारा जारी पटटा संख्या 35 दिनांक 14.11.1988 से संबंधित आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार नांगल राजावतान से करवाई गई। तहसीलदार नांगल राजावतान ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि उक्त पटटा ग्राम चूडियावास हाल उदयपुरा स्थित खसरा नंबर 368/1039 जारी किया गया है। उक्त पटटा संख्या 35 दिनांक 14.11.1988 की संपूर्ण भूमि भारतमाला परियोजना के तहत अवाप्ति में आ रही है तथा उक्त पटटे की भूमि में स्थित मकान संरचना संख्या डी0बी0 477 आर.एच.एस. में रामकरण पुत्र हरपाल, जगदीश पुत्र कुन्जा, भूली पत्नि रामस्वरूप जाति मीना का है। उक्त पटटे की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति लवाण से करवाई गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति लवाण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त पटटा संख्या 35 ग्राम पंचायत चूडियावास द्वारा जारी किया जाना तथा ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 28.11.2019 प्रस्ताव संख्या 02 के तहत उक्त पटटे का नामान्तरण प्रार्थीगण के स्थान पर श्रीमती भूली पत्नि रामस्वरूप, कमलेश, काली पुत्रियान रामस्वरूप, रामअवतार, छुटटन, धर्मसिंह पिसरान रामस्वरूप, जगदीशपुत्र कुन्जा व रामकरण पुत्र हरपाल के नाम रामस्वरूप की मृत्यु हो जाने के कारण स्वीकार किया गया।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थीगण की भूमि वाके ग्राम चूडियावास के खसरा नंबर 368/1039 में स्थित है, का मुआवजा अवार्ड डी बी 477 (आर.एच.एस.) को मुआवजा राशि एक गुना 22,39,920/–रू0 निर्धारित की गई। पत्रावली में संलग्न उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम चूडियावास स्थित संरचना डी0बी0 477 आर.एच.एस.को खसरा संख्या 368/1039 में दर्शा कर कुल 22,39,920/–रू0 मुआवजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:12 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर... 7 पर

भूमि का अवार्ड खसरा नंबर 368/1039 ग्राम पंचायत (राजस्थान सरकार) खाते में दर्ज होने के एक गुना दर से जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में आपत्ति प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजवतान को प्रस्तुत की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजवतान ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार नांगल राजावतान से करवाई गई। तहसीलदार नांगल राजावतान ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि बताया है कि उक्त पटटा ग्राम पूर्व चूडियावास हाल उदयपुरा स्थित खसरा नंबर 368/1039 जारी किया गया है। उक्त पटटा संख्या 35 दिनांक 14.11.1988 की संपूर्ण भूमि भारतमाला परियोजना के तहत अवाप्ति में आ रही है तथा उक्त पटटे की भूमि में स्थित मकान संरचना संख्या डी0बी0 477 आर.एच.एस. में रामकरण पुत्र हरपाल, जगदीश पुत्र कुन्जा, भूली पत्नि रामस्वरूप जाति मीना का है। उक्त पटटे की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति लवाण से करवाई गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति लवाण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त पटटा संख्या 35 ग्राम पंचायत चूडियावास द्वारा जारी किया जाना तथा ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 28.11.2019 प्रस्ताव संख्या 02 के तहत उक्त पटटे का नामान्तरण प्रार्थीगण के स्थान पर श्रीमती भूली पत्नि रामस्वरूप, कमलेश, काली पुत्रियान रामस्वरूप, रामअवतार, छुटटन, धर्मसिंह पिसरान रामस्वरूप, जगदीशपुत्र कुन्जा व रामकरण पुत्र हरपाल के नाम रामस्वरूप की मृत्यु हो जाने के कारण स्वीकार किया गया। इस प्रकार खसरा नंबर 368/1039 मे प्रार्थीगण का पटटा संख्या 35 की संपूर्ण भूमि 416 वर्गगज अवाप्त की गई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा भूमि को ग्राम पंचायत राजस्थान सरकार के खाते मे बताकर अवाप्त भूमि में स्थित संरचना का एक गुना राशि का अवार्ड पारित किया गया है जबकि अवाप्त भूमि का पटटा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया गया है। साथ ही भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा अवाप्ताधीन भूमि को भी राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत के खाते में बताकर शून्य राशि का अवार्ड पारित किया गया है। अतः हम प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि में बनी हुई संरचना का मुआवजा जिस पर सोलेशियम राशि शून्य दर से पारित कियां गया है एवं अवाप्त भूमि जिस पर प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से पटटा जारी किया गया है एवं प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि है, जिसका ग्राम पंचायत राजस्थान सरकार की भूमि बताकर शून्य राशि का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण के स्वामित्व की पटटेशुदा भूमि होने एवं अवाप्त भूमि पर स्थित संरचना भी प्रार्थीगण की होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण को उनके वैधानिक लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। जहॉ तक प्रार्थीगण के पटटे के पंजीकृत होने अथवा नहीं होने का प्रश्न है, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पटटे की वैधानिकता को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:12 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर... 8पर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा पारित प्रश्नगत अवार्ड के उस भाग को निरस्त किया जाता है जिसमें प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि को राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत के खाते में बताकर शून्य राशि का अवार्ड पारित किया गया है एवं प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि में बनी हुई संरचना का मुआवजा ग्राम पंचायत राजस्थान सरकार के नाम एक गुना दर से पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में एवं प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के स्वामित्व की अवाप्तशुदा भूमि का एवं उस पर निर्मित संरचना का पुनः अवार्ड पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08 जुलाई, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( कमर चौधरी )
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:12 IST
Reason: SelfAttested